नीट की छात्रा के जाति प्रमाण पत्र में बाधा

महिला आयोग ने की पटवारी के निलंबन की अनुशंसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में एक महत्वपूर्ण प्रकरण की सुनवाई हुई, जिसमें आवेदिका ने बताया कि उसने नीट की परीक्षा पास की है और 439 अंक प्राप्त किए हैं। मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए उसे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। लेकिन अनावेदक पटवारी, जो जिला महासमुंद में कार्यरत है, आवेदिका के स्व. पिता की वंशावली बनाने से इन्कार कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि अनावेदक सरपंच पहले ही वंशावली में हस्ताक्षर कर चुका है, फिर भी पटवारी और कोटवार मिलकर आवेदिका के जाति प्रमाण पत्र के निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। आयोग ने अनावेदक पटवारी, सरपंच और कोटवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है, जिसमें निलंबन भी शामिल है। इसके साथ ही, आयोग ने कलेक्टर महासमुंद से यह भी अनुशंसा की है कि आवेदिका को एमबीबीएस में प्रवेश के लिए एक सप्ताह के भीतर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

अनावेदकों की बदमाशी के कारण आवेदिका 2024 में भी नीट की परीक्षा पास करने के बावजूद एमबीबीएस शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। आयोग ने कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सुनवाई में आयोग की अध्यक्ष डा. किरणमयी नायक, सदस्य लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी और दीपिका शोरा उपस्थित रहीं। एक अन्य प्रकरण में, आवेदिका और अनावेदक पति-पत्नी हैं। दूसरी महिला और उसका पति भी सुनवाई में उपस्थित हुए। आवेदिका ने दूसरी महिला और अपने पति पर अवैध संबंध की शिकायत की है। आयोग ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना और दूसरी महिला को समझाइश दी कि वह आवेदिका के पति से अपना कारोबार अलग कर ले।